न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 38/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोज) जिला रसद कार्यालय, नागौर		रामपाल पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी खुण्डाला, तहसील खींवसर, जिला नागौर

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
अप्रार्थी की ओर से श्री सहदेव राम चौधरी, अधिवक्ता।

आदेश

दिनांक –23.02.26

1– प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा तीन प्लास्टिक टंकियां, एक ट्रैक्टर ट्रैंकर (केवल टैंकर) मय 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री सहदेव राम चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 17.10.2025 को अपना जवाब पेश किया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 25.05.2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के आधार पर श्री अंकित पंचार जिला रसद अधिकारी नागौर मय टीम श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक सरकारी वाहन सं. RJ21 UB 5280 से पुलिस थाना खींवसर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर से सम्पर्क कर प्राप्त तहरीर के आधार पर डिटेन सुदा तीन सफेद रंग की प्लास्टिक टंकियां जिनमें दो टंकियों की क्षमता 2000 लीटर प्रति टंकी है व एक टंकी की भण्डारण क्षमता 5000 लीटर है व एक ट्रैक्टर टैंकर (केवल टैंकर) का निरीक्षण प्रभारी मालखाना, पुलिस थाना खींवसर व पुलिस की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक की दो टकियां बिना ढक्कन के रिक्त पाई गई। एक प्लास्टिक टंकी जो सील चपड़ी से सील्ड पाई गई जिसको प्रभारी मालखाना व पुलिस की उपस्थिति में सील–चपड़ी उतारकर ढक्कन खोलकर सूंघने पर तरल पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत हो रहा है। मौके पर डिटैन सुदा ट्रैक्टर–टैंकर का निरीक्षण करने पर आऊटलेट वॉल्व को सील चपड़ी से सील्ड किया गया पाया गया। टैक्टर–टैंकर के ऊपरी ढक्कन पर सील चपड़ी सील्ड पाई गई जिसको प्रभारी मालखाना व पुलिस की उपस्थिति में हटाया जाकर तरल पदार्थ को सूंघने पर पट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होता है। मौके से नजदीकी पेट्रोल पम्प मैसर्स सकुन फिलिंग स्टेशन, खींवसर के प्रतिनिधि को घनत्व मापन यन्त्र के साथ घनत्व मापन हेतु मौके पर बुलाया गया। मौके पर मैसर्स सकुन फिलिंग स्टेशन खींवसर के प्रतिनिधि श्री इरफान घनत्व मापन यन्त्र व एल्युमिनियम बाल्टी आवश्यक सामग्री के साथ उपस्थित हुए। प्लास्टिक टंकी से तरल पदार्थ को स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टी में भरा गया व श्री इरफान द्वारा उक्त तरल पदार्थ का घनत्व मापन करने पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग (घनत्व) 801 है, तापमान 49°C पाया गया। उक्त का ASTM टेबल की सहायता से 15°C पर परिवर्तित करने पर 825.11 kg/m^3 घनत्व पाया गया। प्लास्टिक टंकी में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर टंकी में कुल 650 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। ट्रैक्टर टैंकर में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर कुल 3300 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार प्लास्टिक टंकी व ट्रैक्टर टैंकर दोनों में भण्डारित कुल 650+3300=3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया।

पुलिस थाना खींवसर से प्राप्त तहरीर के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ खटोड़ा रोड़ पर बिरलोका तहसील खींवसर में श्री वीर हनुमान कंस्ट्रक्शन रुई फैक्ट्री में अवैध रूप से भण्डारित होने एवं मौके पर रुई फैक्ट्री में कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये जाने व मौके पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं पाये जाने पर पुलिस थाना खींवसर द्वारा डिटैन कर तीन प्लास्टिक की टंकियों व ट्रैक्टर–टैंकर मय 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ थाना परिसर में रखा गया। तहरीर के अनुसार उक्त फैक्ट्री मालिक श्री रामपाल पुत्र श्री गोमदराम जाति जाट निवासी खुण्डाला तहसील खींवसर होना ज्ञात हुआ। उक्त 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुज्ञा–पत्र का आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर उक्त डिटैन शुदा तीन प्लास्टिक टंकियों, एक ट्रैक्टर टैंकर मय 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए व Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply] Distribution and Prevention of Mal&practices) Order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा तीन प्लास्टिक टंकियों, एक ट्रैक्टर टैंकर (केवल टैंकर) मय 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये। इस प्रकार श्री रामपाल पुत्र श्री गोमदराम द्वारा Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply] Distribution and Prevention of Mal&practices) Order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर श्री रामपाल का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर जब्तसुदा प्लास्टिक टंकियां, एक ट्रैक्टर ट्रैंकर (केवल टैंकर) मय 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है तथा प्रार्थी ने यह बताया कि Regional forensic Science Laboratory Jodhpur की रिपोर्ट दिनांक 28.11.2025 के अनुसार उक्त पदार्थ डीजल होना पाया गया।

3– अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा न्यायालय हाजा में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम गलत आधारो पर पेश किया गया है व पुलिस व रसीद विभाग द्वारा गलत रूप से प्रार्थी के तीन प्लास्टिक टंकियों, एक टैंक्टर टैंकर (केवल टैंकर) मय 3,950 लीटर तरल पदार्थ को गलत रूप से सीज करके आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गलत रूप से मुकदमा दर्ज कर उसकी आड़ में गलत रूप से न्यायालय हाजा में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य होने से उसे खारिज किया जावें । वास्तविक तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी के पास टयूबेल खोदने, बोरिंग करने का कार्य है। जिसके तहत प्रार्थी के पास अपने स्वयं के स्वामित्व का वाहन है। जिसके चैसीस नम्बर MB1CWCHD8RPPX8502 व इंजन नम्बर PFPZ132760 है। जो दिनांक 31.01.2024 को 23,43,750/– रू में खरीद किया गया था। साथ ही इसके ऊपर कंप्रेसर मशीन दिनांक 18.03.2024 को 63,02,301.58/– रू में खरीद कर लगाया गया था। उक्त मशीन से टयूबेल खोदने का कार्य किया जाता है। जिसमें दो टैंक (टंकियाँ) डीजल के होते है जिसमें एक बड़ा टैंक जिसकी क्षमता 3700 लीटर डीजल आने की होती है व दूसरा टैंक 355 लीटर डीजल आने की क्षमता होती है। दोनो टैंको में डीजल रहना अनिवार्य होता है। क्योंकि दोनो टैंको में मशीने अलग अलग हिस्सो में डीजल जाता है जिसमें एक हिस्सा कम्प्रेसर का व दूसरा मशीन (ट्रक) का होता है। जिनमें बहुत अधिक डीजल खर्च होता व टैंक भी डीजल के बड़े है। जिस कारण डीजल के टैंक फुल रखने पडते है व उसके अलावा भी डीजल का साथ में स्टॉक भी रखना पडता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2025 को डीजल 1100 लीटर, दिनांक 18.05.2025 को डीजल 1222 लीटर, दिनांक 20.05.2025 को डीजल 900 लीटर, दिनांक 21.05.2025 को डीजल 992 लीटर जो प्रार्थी द्वारा डीजल प्रधान पैट्रोलियम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड राजस्थान जिसके जी.एस.टी.आई. अन / यू.आई.एन. 08ए. ए.एन.सी.पी. 5664क. 1जेड.पी. है। उससे खरीदा गया था जो मशीन खराब हो जाने के कारण डीजल को बाहर निकालना पड़ा। बाहर निकालते समय प्रार्थी के पास दो तो प्लास्टिक की टंकियाँ थी उनमें डाला गया था। इसके अलावा डीजल किसी में नहीं डाला गया था। लेकिन उक्त स्थान पर प्रार्थी का पानी का खाली टैंकर व उसके पास एक प्लास्टिक की खाली टंकी और पड़ी थी। जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर से प्लास्टिक की टंकियो में जो डीजल था, उसको पानी के टैंकर में खाली करके टैंकर व प्लास्टिक की टंकिया सहित ही थाने ले जाकर के झूठा मुकदमा बना दिया एवं गलत रूप से पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है। जिसका एक मात्र मालिक प्रार्थी ही है। प्रार्थी के अलावा उक्त डीजल का कोई मालिक व दावेदार नहीं है। पुलिस द्वारा मौके पर से जो डीजल व टेंकर जब्त किया गया है वो प्रार्थी का ही है व वैध है जिसमें किसी प्रकार का कोई अवैध नहीं है। जिस कारण प्रार्थी बरामदसुदा डीजल व टेंकर प्राप्त करने का अधिकारी भी है। जिससे प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी रामपाल ने अलग से आवेदन पेश किया है। इसके बिना प्रार्थी को लाखो रूपयों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि प्रार्थी को अपने वाहन चलाने के लिए ईंधन व ट्रैक्टर टैंकर (केवल टैंकर) की हर वक्त आवश्यकता रहती है। अन्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

23/1/–

अपर कलक्टर, नागौर

4– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर मय टीम श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खींवसर पहुंचे। मौके पर पुलिस थानाधिकारी खींवसर से तहरीर प्राप्त कर जांच करने पर जब्तसुदा तीन प्लास्टिक टंकियां, एक ट्रैक्टर ट्रैंकर (केवल टैंकर) मय 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। Regional forensic Science Laboratory Jodhpur की रिपोर्ट दिनांक 28.11.2025 के अनुसार उक्त पदार्थ डीजल होना पाया गया। अप्रार्थी के पास पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, विक्रय तथा भंडारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply] Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा तीन प्लास्टिक टंकियां, एक ट्रैक्टर ट्रैंकर (केवल टैंकर) तथा 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में जब्तसुदा तीन प्लास्टिक टंकियां, एक ट्रैक्टर ट्रैंकर (केवल टैंकर) तथा 3950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्तसुदा टैंकर का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प मे अप्रार्थी श्री रामपाल पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी खुण्डाला, तहसील खींवसर, जिला नागौर पर रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है, अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तसुदा टैंकर, को मुक्त करने के आदेश दिया जाता है, अप्रार्थीगण द्वारा 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर टैंकर को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5– निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर